न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील–बेल्थरा रोड, जनपद–बलिया

वद संख्या–132 / 26–09–2022 धारा–143 ज0 वि0 अधि0

मौजा–कुशहा रसीदपुर परगना–सि0गर्वी, बलिया

रमाशंकर

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक, श्री राज बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह, रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, पता ग्राम कुशहा रसीदपुर व पो0–उधरन, जनपद–बलिया द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा– कुशहा रसीदपुर, में स्थित भूमि गाटा सं0 304मि0, 265मि0 कुल रकबा 0.810 हे0 अर्थात् 8100 वर्गमीटर अकृषित भूमि है। धारा–143 के अन्तर्गत इसे अकृषित घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि शिक्षण संस्थान के प्रयोग में लायी जा रही है। इस लिए तफतील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मसतहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफतील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें।

इस संबंध में दिनांक 24–08–2022 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसीलदार–बेल्थरा रोड से जांच आख्या देने हेतु उ0 न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जांच कर अपनी आख्या पर लेखपाल दिनांक 26–08–2022 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू–लेख नियमावली की धारा–135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी कि गाटा संख्या–304मि0, 265मि0 कुल रकबा 0.810 हे0 अर्थात् 8100 वर्गमीटर भुमि खतौनी पर अंकित है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त रकबे में रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, पता ग्राम कुशहा रसीदपुर व पो0–उधरन, जनपद–बलिया का शैक्षणीक संस्थान निर्माणाधीन है जिसे आख्या श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ती नहीं कि गयी है। मेरे द्वारा वाद व उसके अधिकार के तर्को को सूना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार बेल्थरा रोड की आख्या दिनांक 05–09–2022 का अवलोकन किया गया। जिसे अकृषित घोषित किया जाना न्यायसंगीत है। भूलेख अधिनियम के धारा 135 (1) के अन्तर्गत गैर कृषित भूमि के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल / राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार बेल्थरा रोड द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

मुख्य ट्रस्टी
रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

Scanned with CamScanner

(2)

आदेश

अतः तहसीलदार बेल्थरा रोड की आख्या दिनांक 23–09–2022 को स्वीकार करते हुए मौजा– कुशहा रसीदपुर के गाटा संख्या 304मि0, 265मि0 कुल रकबा 0.810 हे0 अर्थात् 8100 वर्गमीटर जो रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, पता ग्राम कुशहा रसीदपुर व पो0–उधरन, जनपद–बलिया (उ0प्र0) 221716 के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा –143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रुपया 17.00 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांकः–26–09–2022

(दिपशिखा सिंह)
उप जिलाधिकारी, बेल्थरा रोड बलिया

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांकः–29–09–2022

मुख्य ट्रस्टी
रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
कुशहारसीदपुर, उधरन, बलिया

(दिपशिखा सिंह)
उप जिलाधिकारी, बेल्थरा रोड बलिया

Scanned with CamScanner